भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1221
गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक)

युवा बेरोजगारी दर

1221. श्रीमती मौसम बी नूरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की उन रिपोर्टों से सहमत है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर अब वैश्विक स्तरों से अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पाई हैं;

(ग) क्या कथित गिग जॉब्स या अस्थायी और कम वेतन वाले रोजगार में वृद्धि भारत में रोजगार की स्थिति के लिए चिंताजनक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है जो युवाओं की वैश्विक बेरोजगारी दर 13.3 प्रतिशत से कम है [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार]। इसके साथ-साथ, आईएलओ-आईएचडी (मानव विकास संस्थान) द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, कुल युवा आबादी (15-29 वर्ष) में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 2019 में 7% से घटकर 2022 में 5% हो गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 के दौरान कुल युवा आबादी (15-29 वर्ष) में से 37% नौकरीशुदा थे, 35% छात्र थे, 22% पारिवारिक कार्य कर रहे थे और केवल 5% ही बेरोजगार थे।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक उत्पादन में गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के योगदान और आजीविका के अवसर सृजित करने की इसकी अपार क्षमता पर भी प्रकाश डालती है।

संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यह उपाय जीवन और दिव्यांगता सुरक्षा को कवर करना, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि प्रावधानों से संबंधित है। यह संहिता कल्याण योजना को वित्तपोषित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान करती है।

युवाओं सहित सभी के लिए नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****